संस्थाओं के निबंधन का प्रमाण-पत्र

आवेदन संख्या ....1439....

निबंधन संख्या ....610....

(ऐक्ट XXI, 1860)

वर्ष 2014 - 2015

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि .... CARE ONE ....

....

....

....

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट XXI, 1860 के अधीन आज यथावत् निबंधित हुआ/हुई।

आज तारीख ....4.... मास ....2.... वर्ष दो हजार ....15.... को राँची में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया।

झारखण्ड सरकार

वास्ते, महानिरीक्षक, निबंधन, झारखण्ड, राँची

इस प्रमाण पत्र की सत्यता विभागीय वेबसाइट regd.jharkhand.gov.in में संस्था निबंधन मेनू पर जा कर आवेदन संख्या के आधार पर की जा सकती है।

सेवा में,

निबंधन महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची ।

विषयः– "केयर वन" नामक संस्था के स्मृति–पत्र (कार्यकारिणी समिति) में संशोधन करने के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदनपूर्वक कहना है कि "केयर वन" नामक संस्था के आलेख्य में सुधार हेतु तुलनात्मक स्मृति–पत्र (कार्यकारिणी समिति), संशोधित स्मृति–पत्र, नियमावली, सूचना एवं आमसभा के कार्यवाही की प्रति संलग्न कर समर्पित कर रहा हूँ ।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि उक्त संस्था के आलेख्य में किये सुधार को स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे ।

सादर ।

विश्वासभाजन,

अनुलगनकः–
1. सूचना–2
2. आम सभा के कार्यवाही की प्रति–2
3. संशोधित स्मृति–पत्र ।
4. तुलनात्मक स्मृति–पत्र ।

अध्यक्ष,
"केयर वन"

I D
9631

केयर वन
का
तुलनात्मक स्मृति–पत्र

वर्तमान	प्रस्तावित
1. संस्था का नामः–केयर वन	1. संस्था का नामः—तदैव–
2. संस्था का निबंधित कार्यालयः–इस संस्था का कार्यालय–प्लॉट नं0–2764 महावीर नगर, अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोली के पीछे, पो0+थाना–डोरण्डा, जिला–राँची (झारखण्ड) 834002 में रहेगा।	2. संस्था का निबंधित कार्यालयः– –तदैव–
3. कार्यक्षेत्रः– इस संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य होगा ।	3. कार्यक्षेत्रः– –तदैव–
4. संस्था का उद्देश्यः–इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैः–	4. संस्था का उद्देश्यः–इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैः–
(i) सभी प्रकार के एंवं सभी वर्गों हेतु कौशल उन्नयन, प्रबंधन, भोकेशनल, जागरूकता एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना, खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों का स्थापना करना, खादी क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं आधारभूत संरचना का स्थापना, मेला लगाना, वाहन चालकों का प्रशिक्षण, नाठ्य, नृत्य एवं निर्देशन, प्रशिक्षण का आयोजन बी0एड0 प्रबंधन एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षणों का आयोजन, नरेगा का प्रचार–प्रसार, सामाजिक अंकेक्षक, वृक्षारोपण, पर्यावरण केन्द्र का विकास एवं टूरिस्ट गाईड का प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के द्वारा सभी लक्ष्य समूहों को स्वनियोजित करना, आधारभूत संरचना का निर्माण करना, सर्वे, आंकड़ा तैयार करना एवं प्रकाशन करना, योग प्रशिक्षण केन्द्र एवं कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों का स्थापना करना, आयुर्वेदिक औषायिों एवं अन्य सामग्रियों का निर्माण करना, लघु स्तर पर	(i) –तदैव–

	आई0टी0आई0 का प्रबंधन एवं संचालन, स्वेच्छा से सेवानिवृत सरकारी एवं गैर सरकारी सेवकों एवं अन्य को प्रशिक्षण देना।		
(ii)	शिक्षा के क्षेत्र में सम्पूर्ण विकास कार्यों का प्रशिक्षणों का उपाय करना, विद्यालयों, महाविद्यालयों का स्थापना एवं राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय संस्थानों के द्वारा प्रदत्त अनुदानों से प्रशिक्षकों का आयोजन, स्वरोजगार सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक उत्थन एवं स्वनियोजन करना, बाल मजदूर, बन्धुआ मजदूर, रिक्शा चालक, ठेला चालक, हाड़िया उन्मूलन, झुग्गी झोपड़ी, वैश्या, उग्रवाद उन्मूलन संबंधित प्रशिक्षणों का आयोजन एवं स्वनियोजन करना, आपदा प्रबंधन का कार्य, परिवारिक न्यायालय को चलाना, कृषि क्षेत्र, गव्य विकास, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं सरकार के अन्य विभागों के द्वारा प्रवर्तित प्रशिक्षणों एवं विकास कार्यों का कार्यान्वयन करना।	(ii)	शिक्षा के क्षेत्र में सम्पूर्ण विकास कार्यों का प्रशिक्षणों का उपाय करना, विद्यालयों, महाविद्यालयों, नर्सिंग कॉलेज, परामेडिकल कॉलेज का स्थापना एवं राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय संस्थानों के द्वारा प्रदत्त अनुदानों से प्रशिक्षकों का आयोजन, स्वरोजगार सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक उत्थन एवं स्वनियोजन करना, बाल मजदूर, बन्धुआ मजदूर, रिक्शा चालक, ठेला चालक, हाड़िया उन्मूलन, झुग्गी झोपड़ी, वैश्या, उग्रवाद उन्मूलन संबंधित प्रशिक्षणों का आयोजन एवं स्वनियोजन करना, आपदा प्रबंधन का कार्य, परिवारिक न्यायालय को चलाना, कृषि क्षेत्र, गव्य विकास, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं सरकार के अन्य विभागों के द्वारा प्रवर्तित प्रशिक्षणों एवं विकास कार्यों का कार्यान्वयन करना।
(iii)	लोगों को स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करेगी तथा महिलाओं एवं बच्चों को टीकाकरण, एड्स से सुरक्षा की जानकारी के लिए कैम्प, शिविर आदि की व्यवस्था करना । समय–समय पर रक्तदान शिविर, नेत्रदान शिविर का आयोजन करना ।	(iii)	–तदैव–
(iv)	स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यान्वयन किए जा रहे सभी योजनाओं का जागरूकता एवं अन्य प्रशिक्षणों का आयोजन करना, एड्स उन्मूलन संबंधित कार्यों एवं प्रशिक्षणों का आयोजन करना, टोटल सेनिटेशन प्रशिक्षण, उत्पादों का आपूर्ति एवं शौचालयों का निर्माण, सुलभ शौचालय निर्माण एवं प्रबंधन, अन्धविश्वास के उन्मूलन सम्बन्धित कार्य करना।	(iv)	–तदैव–

(v)	स्वस्थ्य शरीर स्वस्थ्य राष्ट्र इन प्रयोजनार्थ योग चिकित्सा, आयुर्वेद, रेकी पद्धति, युनानी पद्धति इत्यादि स्वदेशी प्राकृतिक चिकित्सा तथा अन्य आसान मान्य चिकित्सा पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित करना तथा सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का आयोजन करना।	(v)	–तदैव–
(vi)	कृषि की उन्नति के लिए कृषकों को उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक दवा तथा आधुनिक तकनीक की जानकारी देना एवं सामान आपूर्ति की व्यवस्था करना तथा कोल्डस्टोरेज की जानकारी देना।	(vi)	–तदैव–
(vii)	ग्रामीण विकास के अन्तर्गत सुलभ शौचालय, स्नानागार, पहूंच पथ, नाली, स्वच्छ पेयजल हेतु कुआँ, चापानल एवं कृषि कार्य हेतु आहर, तालाब, चेकडेम, पशुपालन, कुकुटपालन, लघु उद्योग का शिक्षण–प्रशिक्षण, पर्यावरण के संरक्षण हेतु वृक्षारोपण कार्यक्रम संचालित करने की व्यवस्था करेगी ।	(vii)	–तदैव–
(viii)	संस्था अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सभी समुदाय के नवयुवकों, एवं युवतियों के आर्थिक, नैतिक, मानसिक, शैक्षणिक एवं चारित्रिक विकास के लिये प्रयास करना । उनके सामाजिक न्याय के लिए कार्य करना तथा शिक्षाण एवं प्रशिक्षण में हर संभव सहयोग करना ।	(viii)	–तदैव–
(ix)	संस्था अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सभी समुदाय के कल्याण के लिए संस्था द्वारा विकासशील कार्यक्रम चलायेगी एवं उसके लिए सभी प्रकार के विकास कार्य करेगी तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी सुविधाओं की जानकारी एवं उससे लाभान्वित करायेगी।	(ix)	–तदैव–

(x)	निर्धन छात्र–छात्राओं के शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना तथा विद्यालय, महाविद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय की स्थापना करना। विकलांग, असहाय तथा वृद्धाओं के लिए प्रोढ़ शिक्षा, जन शिक्षा, नारी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा जैसे कार्यक्रम चलाकार लोगों को स्वरोजगार के प्रति जागरूक करना।	(x)	–तदैव–
(xi)	कला के प्रति जागरूकता पैदा करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाच–गान, नुक्कड़–नाटक एवं व्यवसहारिक ज्ञान का उपार्जन करायेगी । शिल्प कला आदि का ज्ञान एवं आर्थिक विकास को अग्रसर कराना ।	(xi)	–तदैव–
(xii)	युवक/युवतियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण सिलाई, कटाई, बुनाई, कढ़ाई, कशीदाकारी, रंगाई, पेंटिंग, वेल्डर, फिटर, कुर्सी बुनाई, बढ़ईगिरि, टंकण, आशुलिपिक, कम्प्यूटर आदि की जानकारी दी जायेगी।	(xii)	–तदैव–
(xiii)	विकलांगों, वृद्धाओं, असहाय लोगों के कल्याणार्थ कार्य करना । इस निमित्त विकलांग पुनर्वास आश्रम, वृद्धा आश्रम, पालनाघर, अनाथालय आदि की स्थापना करना । महिला स्वावलम्बन, सशक्तिकरण हेतु कार्य करना एवं स्वयं सहायता समूह का गठन करना ।	(xiii)	–तदैव–
(xiv)	पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधशाला की स्थापना करना, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत आदि को बढ़ावा देना। पर्यावरण चेतना के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं तथा पर्यावरण मेला का आयोजन करना ।	(xiv)	–तदैव–
(xv)	पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधशाला की स्थापना करना, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत आदि को बढ़ावा देना। पर्यावरण चेतना के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं तथा पर्यावरण मेला का आयोजन करना।	(xv)	–तदैव–

DC Singh

चन्द्रशेखर प्रसाद

(xvi)	विकलांगों, वृद्धाओं, असहाय लोगों के कल्याणार्थ कार्य करना इस निमित विकलांग पुनर्वास आश्रम, वृद्धा आश्रम, पालनाघर, अनाथालय आदि की स्थावना करना । महिला स्वावलम्बन, सशक्तिकरण हेतु कार्य करना एवं स्वयं सहायता समूह का गठन करना।	(xvi)	–तदैव–
(xvii)	प्राकृतिक प्रकोप जैसे अकाल, भू:कम्प, बाढ़, सुखाड़ आगलगी तथा महामारी आदि से उत्पीड़ित जन को सभी प्रकार का राहत देना एवं दिलाने की व्यवस्था करना।	(xvii)	–तदैव–

प्रमाणित किया जाता है कि तुलनात्मक स्मृति–पत्र की सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव

5. संस्था की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का विवरण :–

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम, पूर्ण पता, उम्र शैक्षणिक योग्यता, पेशा पदनाम एवं हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो नीचे अंकित है, संस्था की वर्त्तमान नियमावली के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी समिति के सदस्य है :–

वर्तमान					प्रस्तावित				
क्र0	नाम, पिता/पति का पूरा नाम	पूर्ण पता	पेशा	पदनाम	क्र0	नाम, पिता/पति का पूरा नाम	पूर्ण पता	पेशा	पदनाम
1	श्री नागेश्वर कुमार सिंह पिता–स्व0गणेश सिंह	मोहल्ला–महावीरनगर, अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी, पो0+थाना–डोरण्डा, जिला–राँची	व्यापार	अध्यक्ष	1	–तदैव–	–तदैव–	व्यापार	अध्यक्ष
2	श्री आम प्रकाश पाठक पिता–श्री धरणीधर पाठक	मोहल्ला–महावीरनगर, अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी, पो0+थाना–डोरण्डा, जिला–राँची	नौकरी	सचिव	2	श्री चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह, पिता–स्व0 लखन सिंह	मोहल्ला–महावीरनगर, अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी, पो0+थाना–डोरण्डा, जिला–राँची	सेवानिवृत/समाजसेवा	सचिव
3	श्री चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह, पिता–स्व0 लखन सिंह	मोहल्ला–महावीरनगर, अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी, पो0+थाना–डोरण्डा, जिला–राँची	सेवानिवृत/समाजसेवा	कोषाध्यक्ष	3	श्री बृजनन्दन नायक पिता–स्व0रूदन नायक	सकेतपुरी बस्ती शिवमंदिर के पास, हजारीबाग–825301	सेवानिवृत/समाजसेवा	कोषाध्यक्ष
4	श्रीमती जया उपाध्याय पिता–श्री देवेन्द्र उपाध्याय	मोहल्ला–महावीरनगर, अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी, पो0+थाना–डोरण्डा, जिला–राँची	गृहिणी	सदस्य	4	–तदैव–	–तदैव–	गृहिणी	सदस्य
5	श्री व्यास प्रसाद पिता–स्व0शारदा प्रसाद	मोहल्ला–महावीरनगर, अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी, पो0+थाना–डोरण्डा, जिला–राँची	नौकरी	सदस्य	5	–तदैव–	–तदैव–	नौकरी	सदस्य
6	श्री आशुतोष कुमार पिता–स्व0राजकरण सिंह	मोहल्ला–महावीरनगर, अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी, पो0+थाना–डोरण्डा, जिला–राँची	नौकरी	सदस्य	6	–तदैव–	–तदैव–	नौकरी	सदस्य
7	श्री कुनाल शर्मा पिता–श्री पारसनाथ शर्मा	10 जुड़ी, पोटका, पो0–जुड़ी, जिला–पूर्वी सिंहभूम 831002	अध्ययन	सदस्य	7	–तदैव–	–तदैव–	अध्ययन	सदस्य

प्रमाणित किया जाता है कि तुलनात्मक कार्यकारिणी समिति की सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष　　　　कोषाध्यक्ष　　　　सचिव

6. आकांक्षी व्यक्तियों की सूची एवं विवरण :–

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम, पूर्ण पता, उम्र, शैक्षणिक योग्यता, पेशा, पदनाम एवं हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो नीचे अंकित है, संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत उस संस्था के निबंधन आकांक्षी हैं :–

वर्तमान				प्रस्तावित			
क्र0	नाम, पिता/पति का पूरा नाम	पूर्ण पता	पेशा	क्र0	नाम, पिता/पति का पूरा नाम	पूर्ण पता	पेशा
1	श्री नागेश्वर कुमार सिंह पिता–स्व0गणेश सिंह	मोहल्ला–महावीरनगर, अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी, पो0+थाना–डोरण्डा, जिला–राँची	व्यापार	1	–तदैव–	–तदैव–	व्यापार
2	श्री आम प्रकाश पाठक पिता–श्री धरणीधर पाठक	मोहल्ला–महावीरनगर, अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी, पो0+थाना–डोरण्डा, जिला–राँची	नौकरी	2	श्री चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह, पिता–स्व0 लखन सिंह	मोहल्ला–महावीरनगर, अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी, पो0+थाना–डोरण्डा, जिला–राँची	सेवानिवृत/समाजसेवा
3	श्री चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह, पिता–स्व0 लखन सिंह	मोहल्ला–महावीरनगर, अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी, पो0+थाना–डोरण्डा, जिला–राँची	सेवानिवृत/समाजसेवा	3	श्री बृजनन्दन नायक पिता–स्व0रूदन नायक	सकेतपुरी बस्ती शिवमंदिर के पास, हजारीबाग–825301	सेवानिवृत/समाजसेवा
4	श्रीमती जया उपाध्याय पिता–श्री देवेन्द्र उपाध्याय	मोहल्ला–महावीरनगर, अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी, पो0+थाना–डोरण्डा, जिला–राँची	गृहिणी	4	–तदैव–	–तदैव–	गृहिणी
5	श्री व्यास प्रसाद पिता–स्व0शारदा प्रसाद	मोहल्ला–महावीरनगर, अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी, पो0+थाना–डोरण्डा, जिला–राँची	नौकरी	5	–तदैव–	–तदैव–	नौकरी
6	श्री आशुतोष कुमार पिता–स्व0राजकरण सिंह	मोहल्ला–महावीरनगर, अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी, पो0+थाना–डोरण्डा, जिला–राँची	नौकरी	6	–तदैव–	–तदैव–	नौकरी
7	श्री कुनाल शर्मा पिता–श्री पारसनाथ शर्मा	10 जुड़ी, पोटका, पो0–जुड़ी, जिला–पूर्वी सिंहभूम 831002	अध्ययन	7	–तदैव–	–तदैव–	अध्ययन

प्रमाणित किया जाता है कि तुलनात्मक आकांक्षी सूची की सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष | कोषाध्यक्ष | सचिव

केयर वन

का

संशोधित स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम :– केयर वन

2. संस्था का निबंधित कार्यालय :– इस संस्था का कार्यालय–प्लॉट नं0–2764 महावीर नगर, अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोली के पीछे, पो0+थाना–डोरण्डा, जिला–राँची (झारखण्ड) 834002 में रहेगा।

3. कार्यक्षेत्र :– इस संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य होगा ।

4. संस्था का उद्देश्य :– इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है:–

(i) सभी प्रकार के एवं सभी वर्गों हेतु कौशल उन्नयन, प्रबंधन, भोकेशनल, जागरूकता एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना, खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों का स्थापना करना, खादी क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं आधारभूत संरचना का स्थापना, मेला लगाना, वाहन चालकों का प्रशिक्षण, नाठ्य, नृत्य एवं निर्देशन, प्रशिक्षण का आयोजन बी0एड0 प्रबंधन एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षणों का आयोजन, नरेगा का प्रचार–प्रसार, सामाजिक अंकेक्षक, वृक्षारोपण, पर्यावरण केन्द्र का विकास एवं टूरिस्ट गाईड का प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के द्वारा सभी लक्ष्य समूहों को स्वनियोजित करना, आधारभूत संरचना का निर्माण करना, सर्वे, आंकड़ा तैयार करना एवं प्रकाशन करना, योग प्रशिक्षण केन्द्र एवं कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों का स्थापना करना, आयुर्वेदिक औषयियों एवं अन्य सामग्रियों का निर्माण करना, लघु स्तर पर आई0टी0आई0 का प्रबंधन एवं संचालन, स्वेच्छा से सेवानिवृत सरकारी एवं गैर सरकारी सेवकों एवं अन्य को प्रशिक्षण देना।

(ii) शिक्षा के क्षेत्र में सम्पूर्ण विकास कार्यों का प्रशिक्षणों का उपाय करना, विद्यालयों, महाविद्यालयों, नर्सिंग कॉलेज, परामेडिकल कॉलेज का स्थापना एवं राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय संस्थानों के द्वारा प्रदत्त अनुदानों से प्रशिक्षकों का आयोजन, स्वरोजगार सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक उत्थन एवं स्वनियोजन करना, बाल मजदूर, बन्धुआ मजदूर, रिक्शा चालक, ठेला चालक, हाड़िया उन्मूलन, झुग्गी झोपड़ी, वैश्या, उग्रवाद उन्मूलन संबंधित प्रशिक्षणों का आयोजन एवं स्वनियोजन करना, आपदा प्रबंधन का कार्य, परिवारिक न्यायालय को चलाना, कृषि क्षेत्र, गव्य विकास, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं सरकार के अन्य विभागों के द्वारा प्रवर्तित प्रशिक्षणों एवं विकास कार्यो का कार्यान्वयन करना

(iii) लोगों को स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करेगी तथा महिलाओं एवं बच्चों को टीकाकरण, एड्स से सुरक्षा की जानकारी के लिए कैम्प, शिविर आदि की व्यवस्था करना । समय–समय पर रक्तदान शिविर, नेत्रदान शिविर का आयोजन करना ।

(iv) स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यान्वयन किए जा रहे सभी योजनाओं का जागरूकता एवं अन्य प्रशिक्षणों का आयोजन करना, एड्स उन्मूलन संबंधित कार्यों एवं प्रशिक्षणों का आयोजन करना, टोटल सेनिटेशन प्रशिक्षण, उत्पादों का आपूर्ति एवं शौचालयों का निर्माण, सुलभ शौचालय निर्माण एवं प्रबंधन, अन्धविश्वास के उन्मूलन सम्बन्धित कार्य करना।

अध्यक्ष | कोषाध्यक्ष | सचिव

(v) स्वस्थ्य शरीर स्वस्थ्य राष्ट्र इन प्रयोजनार्थ योग चिकित्सा, आयुर्वेद, रेकी पद्धति, युनानी पद्धति इत्यादि स्वदेशी प्राकृतिक चिकित्सा तथा अन्य आसान मान्य चिकित्सा पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित करना तथा सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का आयोजन करना।

(vi) कृषि की उन्नति के लिए कृषकों को उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक दवा तथा आधुनिक तकनीक की जानकारी देना एवं सामान आपूर्ति की व्यवस्था करना तथा कोल्डस्टोरेज की जानकारी देना।

(vii) ग्रामीण विकास के अन्तर्गत सुलभ शौचालय, स्नानागार, पहूंच पथ, नाली, स्वच्छ पेयजल हेतु कुआँ, चापानल एवं कृषि कार्य हेतु आहर, तालाब, चेकडेम, पशुपालन, कुकुटपालन, लघु उद्योग का शिक्षण–प्रशिक्षण, पर्यावरण के संरक्षण हेतु वृक्षारोपण कार्यक्रम संचालित करने की व्यवस्था करेगी ।

(viii) संस्था अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सभी समुदाय के नवयुवकों, एवं युवतियों के आर्थिक, नैतिक, मानसिक, शैक्षणिक एवं चारित्रिक विकास के लिये प्रयास करना । उनके सामाजिक न्याय के लिए कार्य करना तथा शिक्षाण एवं प्रशिक्षण में हर संभव सहयोग करना ।

(ix) संस्था अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सभी समुदाय के कल्याण के लिए संस्था द्वारा विकासशील कार्यक्रम चलायेगी एवं उसके लिए सभी प्रकार के विकास कार्य करेगी तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी सुविधओं की जानकारी एवं उससे लाभान्वित करायेगी।

(x) निर्धन छात्र–छात्राओं के शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना तथा विद्यालय, महाविद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय की स्थापना करना। विकलांग, असहाय तथा वृद्धाओं के लिए प्रोढ़ शिक्षा, जन शिक्षा, नारी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा जैसे कार्यक्रम चलाकार लोगों को स्वरोजगार के प्रति जागरूक करना।

(xi) कला के प्रति जागरूकता पैदा करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाच–गान, नुक्कड़–नाटक एवं व्यवसहारिक ज्ञान का उपार्जन करायेगी । शिल्प कला आदि का ज्ञान एवं आर्थिक विकास को अग्रसर कराना ।

(xii) युवक/युवतियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण सिलाई, कटाई, बुनाई, कढ़ाई, कशीदाकारी, रंगाई, पेंटिंग, वेल्डर, फिटर, कुर्सी बुनाई, बढ़ईगिरि, टंकण, आशुलिपिक, कम्प्यूटर आदि की जानकारी दी जायेगी।

(xiii) विकलांगों, वृद्धाओं, असहाय लोगों के कल्याणार्थ कार्य करना । इस निमित्त विकलांग पुनर्वास आश्रम, वृद्धा आश्रम, पालनाघर, अनाथालय आदि की स्थापना करना । महिला स्वावलम्बन, सशक्तिकरण हेतु कार्य करना एवं स्वयं सहायता समूह का गठन करना ।

(xiv) पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधशाला की स्थापना करना, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत आदि को बढ़ावा देना। पर्यावरण चेतना के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं तथा पर्यावरण मेला का आयोजन करना ।

(xv) पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधशाला की स्थापना करना, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत आदि को बढ़ावा देना। पर्यावरण चेतना के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं तथा पर्यावरण मेला का आयोजन करना।

(xvi) विकलांगों, वृद्धाओं, असहाय लोगों के कल्याणार्थ कार्य करना इस निमित विकलांग पुनर्वास आश्रम, वृद्धा आश्रम, पालनाघर, अनाथालय आदि की स्थावना करना । महिला स्वावलम्बन, सशक्तिकरण हेतु कार्य करना एवं स्वयं सहायता समूह का गठन करना।

(xvii) प्राकृतिक प्रकोप जैसे अकाल, भूःकम्प, बाढ़, सुखाड़ आगलगी तथा महामारी आदि से उत्पीड़ित जन को सभी प्रकार का राहत देना एवं दिलाने की व्यवस्था करना।

DC Singh
अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

सचिव

5. संस्था की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का विवरण :–

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम, पूर्ण पता, उम्र शैक्षणिक योग्यता, पेशा पदनाम एवं हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो नीचे अंकित है, संस्था की वर्त्तमान नियमावली के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी समिति के सदस्य है :–

क्र0	नाम, पिता/पति का पूरा नाम	पूर्ण पता	उम्र	योग्यता	पेशा	नाम	स्वहास्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो	हस्ताक्षर
1	श्री नागेश्वर कुमार सिंह पिता–स्व0गणेश सिंह	मोहल्ला–महावीरनगर, अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी, पो0+थाना–डोरण्डा, जिला–राँची	43	स्नातक	व्यापार	अध्यक्ष	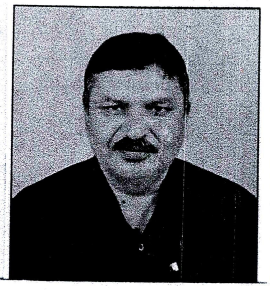	
2	श्री चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह, पिता–स्व0 लखन सिंह	मोहल्ला–महावीरनगर, अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी, पो0+थाना–डोरण्डा, जिला–राँची	52	आई0टी0आई0	सेवानिवृत/समाजसेवा	सचिव	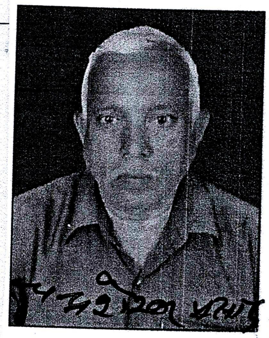	
3	श्री बृजनन्दन नायक पिता–स्व0रूदन नायक	सकेतपुरी बस्ती शिवमंदिर के पास, हजारीबाग–825301	58	एम0ए0	सेवानिवृत/समाजसेवा	कोषाध्यक्ष		
4	श्रीमती जया उपाध्याय पिता–श्री देवेन्द्र उपाध्याय	मोहल्ला–महावीरनगर, अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी, पो0+थाना–डोरण्डा, जिला–राँची	25	इंटर	गृहिणी	सदस्य		Jaya

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

सचिव

5	श्री व्यास प्रसाद पिता–स्व0शारदा प्रसाद	मोहल्ला–महावीरनगर, अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी, पो0+थाना–डोरण्डा, जिला–राँची	50	मैट्रिक	नौकरी	सदस्य	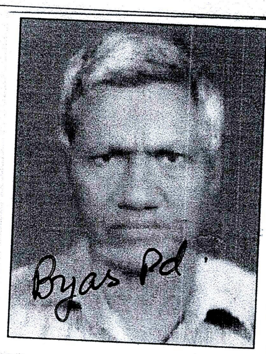	Byas
6	श्री आशुतोष कुमार पिता–स्व0राजकरण सिंह	मोहल्ला–महावीरनगर, अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी, पो0+थाना–डोरण्डा, जिला–राँची	40	स्नातक	नौकरी	सदस्य	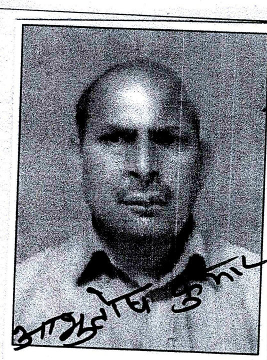	आशुतोष कुमार
7	श्री कुनाल शर्मा पिता–श्री पारसनाथ शर्मा	10 जुड़ी, पोटका, पो0–जुड़ी, जिला–पूर्वी सिंहभूम 831002	31	स्नातक	अध्ययन	सदस्य		Kunal Sharma

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

सचिव

6. आकांक्षी व्यक्तियों की सूची एवं विवरण :–

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम, पूर्ण पता, उम्र, शैक्षणिक योग्यता, पेशा, पदनाम एवं हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो नीचे अंकित है, संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत उस संस्था के निबंधन आकांक्षी हैं :–

क्र0	नाम, पिता/पति का पूरा नाम	पूर्ण पता	उम्र	योग्यता	पेशा	स्वहास्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो	हस्ताक्षर
1	श्री नागेश्वर कुमार सिंह पिता–स्व0गणेश सिंह	मोहल्ला–महावीरनगर, अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी, पो0+थाना–डोरण्डा, जिला–राँची	43	स्नातक	व्यापार	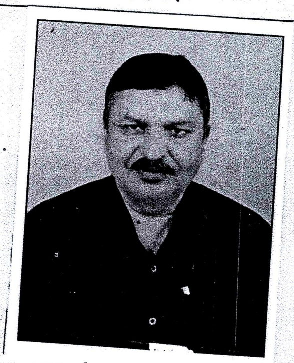	
2	श्री चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह, पिता–स्व0 लखन सिंह	मोहल्ला–महावीरनगर, अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी, पो0+थाना–डोरण्डा, जिला–राँची	52	आई0टी0आई0	सेवानिवृत/समाजसेवा		
3	श्री बृजनन्दन नायक पिता–स्व0रूदन नायक	सकेतपुरी बस्ती शिवमंदिर के पास, हजारीबाग–825301	58	एम0ए0	सेवानिवृत/समाजसेवा		
4	श्रीमती जया उपाध्याय पिता–श्री देवेन्द्र उपाध्याय	मोहल्ला–महावीरनगर, अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी, पो0+थाना–डोरण्डा, जिला–राँची	25	इंटर	गृहिणी		

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

सचिव

5	श्री व्यास प्रसाद पिता–स्व0शारदा प्रसाद	मोहल्ला–महावीरनगर, अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी, पो0+थाना–डोरण्डा, जिला–राँची	50	मैट्रिक	नौकरी	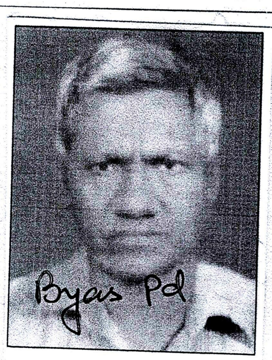	Byas Pd
6	श्री आशुतोष कुमार पिता–स्व0राजकरण सिंह	मोहल्ला–महावीरनगर, अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी, पो0+थाना–डोरण्डा, जिला–राँची	40	स्नातक	नौकरी	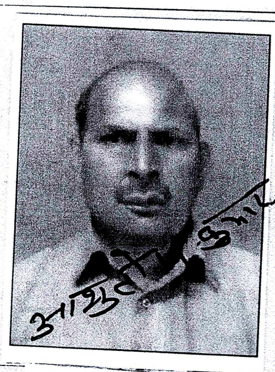	आशुतोष कुमार
7	श्री कुनाल शर्मा पिता–श्री पारसनाथ शर्मा	10 जुड़ी, पोटका, पो0–जुड़ी, जिला–पूर्वी सिंहभूम 831002	31	स्नातक	अध्ययन		Kunal Sharma

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त व्यक्ति जिनका फोटो उपर चिपका है तथा हस्ताक्षर उपर अंकित है, ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया है ।

6 OCT 2018

ANIL KR. SINGH
NOTARY
Reg.-619/11
Ranchi, Jharkhand, India

DC Singh
अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

चन्द्रशेखर प्रसाद
सचिव

केयर वन
की
नि य मा व ली

1. परिभाषाः–

(i)	संस्था से अभिप्राय है	:–	**केयर वन**
(ii)	समिति से अभिप्राय है	:–	संस्था की कार्यकारिणी समिति ।
(iii)	पदाधिकारी से अभिप्राय है	:–	अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष ।
(iv)	आम सभा से अभिप्राय है	:–	संस्था के सभी सदस्यों से बनी सभा।
(v)	वित्तीय वर्ष से अभिप्राय है	:–	1ली अप्रैल से 31 मार्च तक ।
(vi)	अधिनियम से अभिप्राय है	:–	संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860

2. संस्था की सदस्यता की शर्तेः–

प्रत्येक भारतीय नागरिक जिनका उम्र 18 वर्ष से अधिक की हो तथा वे इस संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों का पालन करने के लिए तैयार हों, वे इस संस्था के सदस्य बन सकते हैं । सदस्यता प्राप्ति हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जायेगी । प्रत्येक सदस्य को कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क एवं सदस्यता शुल्क देना आवश्यक होगा।

3. संस्था से सदस्यता की समाप्तिः–

(i) स्वयं त्याग–पत्र देने पर ।
(ii) पागल, दिवालिया या मृत्यु होने पर ।
(iii) सदस्यता शुल्क नहीं देने पर ।
(iv) समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर ।
(v) न्यायालय द्वारा किसी अपराधिक मामले में दण्डित होने पर ।
(vi) संस्था के उद्देश्यों एवं नियमों के विपरीत आचरण करने पर ।
(vii) संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर ।

4. कार्यकारिणी समिति का गठनः–

(i) संस्था के कार्यकारिणी समिति में पदाधिकरयों सहित कुल 07 सदस्य होंगे जिनका कार्यकाल पाँच वर्षों की होगी ।
(ii) कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुना आम सभा द्वारा कराया जायेगा।
(iii) निवृत सदस्य पुनः चुने जा सकते हैं ।
(iv) कार्यकारिणी समिति के कार्यकाल में अगर किसी कारणवश कोई पद रिक्त हो जाता है तो कार्यकारिणी समिति को अधिकार होगा कि शेष अवधि के लिए उक्त पद पर किसी सदस्य को मनोनीत कर सकती है। आम सभा की वार्षिक बैठक में विधिवत अनुमोदन प्राप्त कर लेना होगा ।

DC Singh
अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

चन्द्रशेखर प्रसाद
सचिव

5. कार्यकारिणी समिति का कार्य एवं अधिकारः–

(i) संस्था के सभी चल एवं अचल सम्पति का उत्तरदायी होना ।

(ii) संस्था के सभी कार्यों का सम्पादन विधिवत करना और प्रस्ताव पारित करना ।

(iii) उद्देश्यों की पूति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

(iv) संस्था के लिए भवन, भूमि एवं अन्य उपस्कर की वयवस्था करना।

(v) संस्था का भवन, भूमि का मॉर्गेज, लीज, खरीद–बिक्री करना।

(vi) संस्था में कार्यरत कर्मी द्वारा यदि संस्था विरोधी कार्य करती है तो उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करना, स्पष्टीकरण पुछना, दण्डित करना, निलम्बित करना, बर्खास्त करना, पुनरवहाल करना इत्यादि।

(vii) उप–शाखा का गठन करना ।

6. पदाधिकारियों के कार्य एवं अधिकारः–

क. अध्यक्षः–

(i) अध्यक्ष संस्था का प्रधान होगा।

(ii) संस्था के प्रत्येक गतिविधियों पर निगरानी रखना ।

(iii) आम सभा तथा कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करना ।

(iv) अध्यक्ष को आम सभा एवं कार्यकारिणी की बैठक में निर्णायक मत देने का विशेषाधिकार होगा।

(v) संस्था के ओर से पत्राचार आदि कार्य संपादित करना।

(vi) अध्यक्ष आम सभा एवं कार्यकारिणी समिति की सलाह लिए बिना अधिक से अधिक रू0 10000/– खर्च कर सकता है, जिसकी स्वीकृति कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में लेनी होगी । अधिक खर्च के लिए कार्यकारिणी समिति की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी ।

(vii) संस्था के वार्षिक अधिवेशन में सभा का प्रतिवेदन वार्षिक आय–व्यय तथा आगामी वर्ष की योजना रखना ।

ख. सचिवः–

(i) सचिव संस्था का प्रधान होगा ।

(ii) आम सभा एवं कार्यकारिणी समिति की बैठक के निर्णय आदि का विवरण तैयार करना।

(iii) अध्यक्ष से परामर्श कर कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाना।

(iv) आम सभा एवं कार्यकारिणी समिति के आदेशों का पालन करना तथा उनके निर्णयों को कार्यान्वित करना ।

(v) संस्था के वार्षिक अधिवेशन में सभा का प्रतिवेदन वार्षिक आय–व्यय तथा आगामी वर्ष की योजना रखना ।

ग. कोषाध्यक्ष

(i) कोषाध्यक्ष संस्था के आय–व्यय का लेखा रखेगा तथा कार्यकारिणी समिति में संस्था के मासिक आय–व्यय का विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(ii) विभिन्न क्षेत्रों से आयी हुई राशि को प्राप्त करेगा तथा उचित रसीद देगा ।

(iii) कोषाध्यक्ष के अपने पास अधिक से अधिक रू0 500/– आकस्मिक व्यय हेतु रख सकते हैं ।

अध्यक्ष | कोषाध्यक्ष | सचिव

(iv) कोषाध्यक्ष वार्षिक अधिवेशन के पूर्व ही वार्षिक आय–व्यय का अंकेक्षित विवरण कार्यकारिणी में प्रस्तुत करेगा ।

7. <u>आम सभा के कार्य एवं अधिकारः–</u>

(i) पदाधिकारियों सहित कार्यकारिणी के सदस्यों का निर्वाचन करना।
(ii) संस्था की योजना, बजट, अंकेक्षित लेखा एवं प्रगति प्रतिवेदन को पारित करना ।
(iii) संस्था के लेखा के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति करना ।
(iv) संस्था के स्मृति–पत्र एवं नियमावली में संशोधन करना ।
(v) अध्यक्ष की राय से अन्य विषयों पर विचार विमर्श करना ।
(vi) संस्था के विघटन पर निर्णय लेना ।

8. <u>आम सभा की बैठकेंः–</u>

(i) आम सभा की वाषिक बैठक वर्ष में एक बार होगी तथा आम सभा की विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है।

(ii) आम सभा के 1/3 सदस्यों के लिखित मांग, जिसमें अधियाचना करने वाले सदस्यों के हस्ताक्षर एवं बैठक में विचारणीय बिन्दु पर स्पष्ट उल्लेख रहेगा, पर अधियाचना प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर संस्था के अध्यक्ष को आम सभा की बैठक बुलानी होगी । यदि तीस दिनों के भीतर अध्यक्ष द्वारा बैठक नहीं बुलायी जायेगी तब अधियाचना करनेवाले सदस्यों को अधिकार होगा कि वे आम सभा के सभी सदस्यों को सूचना भेजकर आम सभा की अधियाचित बैठक अधियाचना में अंकित विषय पर निर्णय ले सकते हैं ।

(iii) <u>कोरमः–</u>

आम सभा की सभी बैठकों के लिए कोरम कुल सदस्य संख्या के आधे से एक अधिक होगी (50%+1) ।

(iv) <u>बैठक की सूचनाः–</u>

(i) आम सभा की सभी बैठकों के लिए सूचना बैठक की तिथि से कम से कम दस दिन पूर्व दी जायेगी ।

(ii) बैठक की सूचना निबंधित डाक या सूचनाबही में हस्ताक्षर प्राप्त कर दी जायेगी ।

9. <u>कार्यकारिणी समिति की बैठकेंः–</u>

(i) कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार होगी।
(ii) कार्यकारिणी समिति की आवश्यक बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

10. <u>आय का स्त्रोतः–</u>

(i) प्रवेश शुल्क, सदस्यता शुल्क एवं सहयोग राशि से ।
(ii) सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से ।
(iii) चन्दा, दान अनुदान एवं ऋण से ।
(iv) विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन से ।
(v) संस्था किसी व्यक्ति या कोई संगठन या सरकार से अनुदान एवं ऋण प्राप्त करना।

अध्यक्ष | कोषाध्यक्ष | सचिव

11. कोष की व्यवस्था/बैंक खाते का संचालनः–

संस्था को प्राप्त होने वाली सभी राशियाँ संस्था के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में खुले खाते में रखी जाएगी तथा किसी भी रकम की निकासी संस्था के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी, जिसमें अध्यक्ष का हस्ताक्षर आवश्यक होगा।

12. अंकेक्षणः–

(i) संस्था के लेखा का संधारण नियमितरूप से रखा जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष आम सभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से उसका अंकेक्षण कराया जायेगा ।

(ii) निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची जब भी चाहे संस्था के लेखा का अंकेक्षण किसी अंकेक्षक से करा सकते हैं, जिसका शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जायेगा ।

13. संशोधनः–

संस्था के स्मृति–पत्र एवं नियमावली में कोई भी संशोधन संस्था की आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा तथा संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 की संगत धारा एवं झारखण्ड संस्था नियमावली के संगत नियम का पूर्णतः पालन किया जायेगा ।

14. पंजी का निरीक्षणः–

संस्था की सभी पंजियाँ संस्था के निबंधित कार्यालय में संस्था के सचिव के जिम्मे रहेगी जहाँ कोई भी सदस्य सरकारी अधिकारी अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से पंजी का निरीक्षण कर सकते हैं।

15. कानूनी कार्रवाईः–

संस्था द्वारा या संस्था के विरूद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई संस्था के अध्यक्ष के पदनाम से होगा ।

16. संस्था का विघटन एवं विघटनोपरान्त सम्पति की व्यवस्थाः–

(i) यदि किसी कारणवश संस्था का विघटन करने की आवश्यकता कार्यकारिणी समिति द्वारा समझी जायेगी तब कार्यकारिणी समिति ततसंबंधी प्रस्ताव पारित कर उसे आम सभा की विशेष बैठक में रखेगा । आम सभा के 3/5 सदस्यों के बहुमत से ही संस्था के विघटन पर निर्णय ले लिया जायेगा तथा उसे पुनः आम सभा की दूसरी विशेष बैठक में 3/5 बहुमत से स्पुष्ट कराने के बाद ही संस्था विघटित होगी ।

(ii) विघटन के बाद संस्था के सभी दायित्वों के सामंजन के बाद संस्था की जो भी सम्पति शेष रहेगी, वह संस्था के किसी सदस्य या वाह्य व्यक्ति को नहीं दी जायेगी बल्कि आम सभा के 3/5 सदस्यों के बहुमत से समान उद्देश्य वाली झारखण्ड राज्य में निबंधित किसी संस्था या झारखण्ड सरकार को दे दी जायेगी ।

(iii) संस्था के विघटन के समय संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 की धारा–13 एवं 14 का पूर्णतः पालन किया जायेगा ।

प्रमाणित किया जाता है कि यह नियमावली की सच्ची प्रतिलिपि है ।

DC Singh

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

चन्द्रशेखर प्रसाद

सचिव

शपथ–पत्र

मैं श्री नागेश्वर कुमार सिंह, पिता–स्व0गणेश सिंह, पता–मोहल्ला–महावीरनगर, अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी, पो0+थाना–डोरण्डा, जिला–राँची (झारखण्ड) शपथपूर्वक यह बयान करता हूँ कि:–

1. मैं केयर वन नामक संस्था जो प्लॉट नं0–2764 महावीर नगर, अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोली के पीछे, पो0+थाना–डोरण्डा, जिला–राँची (झारखण्ड) 834002 में अवस्थित है का अध्यक्ष हूँ ।

2. मैं शपथपूर्वक यह बयान करता हूँ कि संस्था के स्मृति–पत्र एवं नियमावली में दिये गये सारे तथ्य मेरे जानकारी में पूर्ण सही है।

3. मैं शपथपूर्वक यह बयान करता हूँ कि इस संस्था के कार्यकारिणी समिति एवं आकांक्षी सूची में किसी भी सदस्यों का आपस में पारिवारिक सम्बन्ध नहीं है ।

4. मैं शपथपूर्वक यह बयान करती हूँ कि इस संस्था के संशोधन के पश्चात अगर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो संस्था के संशोधन को अस्वीकृत/रद्द किया जा सकता है ।

शपथकर्त्ता का हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करतर हूँ कि ऊपर वर्णित कंडिका–1 से 5 तक सभी जानकारी पूर्ण सत्य है, इन सूचनाओं में अगर कोई बात गलत साबित हुई तो मुझपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है ।

शपथकर्त्ता का हस्ताक्षर

ANIL KR. SINGH NOTARY Reg.-419/11 Ranchi, Jharkhand, India

NOTARY PUBLIC, RANCHI

RAJDEO KR. RAM
Advocate
Civil Court, Ranchi
E.No.-2474/2007
Signature Attested on Identification of Lawyer

Authorised Under Notaries Act-1952 (53) & Notaries Rules 1956 by Govt. of Jharkhand, Ranchi (India)
Ref. No. 89 Date 6 OCT 2018

S# 0277575 अधिवक्ता कल्याण कोष ADVOCATES WELFARE FUND STAMP ₹ 15 पंद्रह रुपये RUPEES FIFTEEN Issued By: 02/2015 Issued On: 2018-01-03 12:14:17

27119